Victims Information

होमिसाइड (नर-हत्या) से प्रभावित लोगों के लिए

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (दण्ड न्याय प्रणाली) से गुजरना क्या होता है तथा सहायता कैसे प्राप्त की जाए

यह फैक्टशीट (तथ्य पत्र) अपराध से पीड़ित के रूप में आपको मिलने वाली सहायता और आप किससे सहायता की माँग कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी देती है।

अपने किसी प्रियजन को होमिसाइड (नर-हत्या) के हाथों खो देना एक बहुत ही दु:खदायी अनुभव होता है। सहायता आपकी और आपके परिवार की अपराध के प्रभावों का सामना करने में आपकी मदद कर सकती है। यह जरूरी है कि आपके लिए ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जाए जो आपके लिए सही हो। आपके इलाके में ऐसी एजेंसियां हैं जो विशेषज्ञ व्यावहारिक तथा भावनात्मक सहायता दे सकती हैं। अपने नज़दीक सहायता एजेंसियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विक्टिम इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन कर सकते हैं।

मुख्य सम्पर्कों और शब्दावली के लिए कृपया इस फैक्टशीट के अन्त में देखें।

पीड़ित के अधिकार

आपको अधिकार है कि आपको बताया जाए कि आपको सहारा देने के लिए क्या सहायता उपलब्ध है, अदालत में आपके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखा जाए और अदालत में जाने पर आप क्या अपेक्षा कर सकते इस बारे में जानकारी दी जाए।

अपराध के कारण आप पर होने पर प्रभाव के बारे में अदालत को बताने का आपको अधिकार है। यदि आप किसी बच्चे या युवा व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शिकार हुए हैं, तो आपको फैमिली ग्रुप कान्फ्रेंस (पारिवारिक समूह सम्मेलन) में भाग लेने और आप क्या कार्यवाही देखना चाहेंगे इस बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

कुछ केसों में, आप या आपके प्रतिनिधि को नेम सप्रेशन (नाम दमन), जमानत, होम डिटेन्शन (घर निरोध) या पैरोल जैसी चीजों के बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

आप अदालत के अधिकारियों, पुलिस और आपके केस में शामिल अन्य किसी भी व्यक्ति से शालीन, दयालु और आदरपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। आपको गोपनीयता का पूरा अधिकार है।

अपने अधिकारों और आप किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विक्टिम्स कोड (पीड़ित संहिता) को पढ़ें। यह अन्य उपयोगी जानकारी के साथ हमारी वेबसाइट victimsinfo.govt.nz पर उपलब्ध है।

अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया है या आपको अपनी आशा के अनुसार सेवा नहीं प्राप्त हुई है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जायें या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन करें।

इन्वेस्टीगेशन (जाँच-पड़ताल)

नर-हत्या की जाँच-पड़ताल पीड़ित के परिवार और मित्रों के लिए बहुत कठिन होती है। अगर आपके परिवार में कोई नर-हत्या से पीड़ित हुए हैं, तो सही सहायता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।

पुलिस आपके परिवार के लिए एक विक्टिम लिएज़न ऑफिसर (पीड़ित सम्पर्क अधिकारी) निर्धारित करेगी। यह अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि आपको इस बात की जानकारी रहे कि जाँच-पड़ताल और कोर्ट केस के दौरान क्या हो रहा है। वे आपके सवालों का जवाब भी दे सकेंगे और आपका सम्पर्क विशेषज्ञ एजेंसियों से करायेंगे।

हालांकि यह मृतक व्यक्ति के परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, परन्तु जब तक सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, तब तक वे जहां हैं उन्हें वहां ही रहने दिए जाने की आवश्यकता हो सकती है। एक विशेषज्ञ डॉक्टर जिसे पैथॉलिजिस्ट (चिकित्सक)कहा जाता है, भी जांच करेंगे। ऐसा अदालत के लिए महत्वपूर्ण सबूत इक्ठा करने के लिए किया जाता है।

हत्या की जाँच-पड़ताल में काफी समय लगने की संभावना होती है। पुलिस के लिए यह दिखाना जरूरी होता है कि क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार था और उनके इरादे क्या थे। आपके पुलिस विक्टिम सम्पर्क अधिकारी आपके परिवार को सूचित रखेंगे तथा फ्यूनरल (अन्तिम क्रिया) या अन्य प्रबन्धों में आपकी सहायता करेंगे।

जाँच-पड़ताल के दौरान, पुलिस आपके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों का इंटरव्यू (साक्षात्कार) करने के साथ-साथ फोटो और फॉरन्जिक टैस्टों (न्यायिक जाँच) जैसे सबूत भी इकट्ठा कर सकती है। अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होंगे, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी और उसे दण्डनीय अपराध से चार्ज करेगी।

बेल (जमानत)

एक बार जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उन्हें अदालत में हाजिर होने की जरूरत पड़ने तक रिहा किया जा सकता है। इसे बेल (जमानत) कहा जाता है। कभी-कभी उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने की जरूरत पड़ सकती है जैसे कि उन्हे कहाँ निवास करने की जरूरत है और उन पर कर्फ्यू लगाना। अगर पुलिस को लगता है कि आप या समुदाय में अन्य लोगों को खतरा है, तो उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होने तक हिरासत में रखा जा सकता है, जब वे दुबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जमानत पर व्यक्ति के रिहा किए जाने के बारे में आपको अपने विचार देने का अवसर प्राप्त होगा। आप विक्टिम नोटिफिकेशन (पीड़ित अधिसूचना) रजिस्टर का हिस्सा बनने का भी चुनाव कर सकते हैं ताकि आपको इस बारे में सूचित रखा जा सके कि सजा के बाद अपराधी का क्या होता है। आपके ब्यौरे को गोपनीय रखा जाएगा। यदि आप चाहें तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए किसी और का चुनाव कर सकते हैं।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)

आपसे पूछा जाएगा कि आप विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट देना चाहते हैं या नहीं। इसमें अदालत को यह बताया जाता है कि अपराध का आप और आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपके पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर (पीड़ित सम्पर्क अधिकारी), विक्टिम सपोर्ट या अन्य सहायता एजेंसी आपकी यह स्टेटमेंट (कथन) लिखने में सहायता कर सकती है। अपने विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए *फैसला और सजा* के अन्तर्गत देखें।

सहायता

आपकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं।

विक्टिम सपोर्ट होमिसाइड सपोर्ट सर्विस (पीड़ित सहायता नर-हत्या सहायता सेवा)

यह एक विशेषज्ञ सेवा है जो केस के समाप्त होने के बाद समेत सारी प्रक्रिया के दौरान आपकी सहायता करेगी। यह सेवा इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आपके लिए जरूरी भावनात्मक सहायता आपको मिल सके, और आप जिस व्यावहारिक सहायता के अधिकारी हैं वह आपको मिल सके। पुलिस इस सेवा से आपका सम्पर्क करा सकती है या आप विक्टिम सपोर्ट से 0800 842 846 नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

स्पेशलिस्ट काउंसलिंग सपोर्ट (विशेषज्ञ सलाह सहायता)

नर-हत्या पीड़ितों के परिवारजन और मित्र, गवाह तथा नर-हत्या के घटना-स्थल पर सबसे पहुँचने वाले लोग 30 सत्रों तक की स्पेशलिस्ट काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पात्रता और आवेदन कैसे किया जाए, इस बारे में जानने के लिए विक्टिम सपोर्ट से सम्पर्क करें।

युवा अपराध

यदि अपराध 17 साल की आयु से कम के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था तो मामले को यूथ जस्टिस सिस्टम (युवा न्याय प्रक्रिया) के जरिए निपटाया जायेगा। पीड़ित युवा न्याय प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं तथा आपको फैमिली ग्रुप कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने का अधिकार है।

चाइल्ड, यूथ एन्ड फैमिली (CYF) और कोर्ट में युवा न्याय प्रणाली के बारे में विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। CYF से एक फैमिली ग्रुप कोओरडिनेटर (पारिवारिक समूह समन्वयक) आपसे सम्पर्क करेंगे।

आर्थिक सहायता

अपराध से सम्बन्धित कुछ खर्चों को कवर करने में सहायता के लिए आपको आर्थिक ग्रांट (अनुदान) उपलब्ध हैं। आपको ग्रांट मिल सकती है या नहीं यह जानने के लिए, और आवेदन कैसे किया जाए इस बारे में जानने के लिए विक्टिम सपोर्ट से 0800 842 846 नम्बर पर बात करें।

- निकटतम परिवार पर नर-हत्या के प्रभाव को कम करने के लिए 5000 डॉलर तक की राशि उपलब्ध है। यह आमदनी की हानि और आम खर्चों को कवर करने में सहायता करती है।
- पाँच वयस्क परिवारजनों तक को हाई कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन 124 डॉलर (64 डॉलर प्रति आधा दिन) की ग्रांट उपलब्ध है।
- अदालत और पैरोल बोर्ड की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए छह लोगों तक के यात्रा, आवास और सम्बन्धित खर्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध है।
- अन्तिम-क्रिया के खर्चों में सहायता के लिए 10,000 डॉलर तक की राशि उपलब्ध है। इस ग्रांट के लिए आवेदन करने के लिए दुर्घटना क्षतिपूर्ति निगम से सम्पर्क करें।

हो सकता है आपको दुर्घटना क्षतिपूर्ति निगम से अन्य आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके। अधिक जानकारी के लिए अपनी सहायता एजेंसी से पूछें, या दुर्घटना क्षतिपूर्ति निगम क्लेम्स हैल्पलाईन को 0800 101 996 पर फोन करें।

अदालत में

डिफेन्डेन्ट (वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है) शायद अदालत में कई बार उपस्थित होंगे, उदाहरण के तौर पर दोषी या निर्दोष होने का आवेदन करने के लिए या जज द्वारा केस के सबूतों को देखने के लिए। यह संभावना नहीं है कि आपको इन सारी सुनवाईयों में उपस्थित होना पड़े, परन्तु अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं।

अगर अपराधी निर्दोष होने का निवेदन करता है, तो प्रोसिक्यूटर (अभियोगपक्ष का वकील) द्वारा केस को जज और ज्यूरी के सामने पेश किया जायेगा। प्रोसिक्यूटर सरकार के लिए काम करता है और सरकार, पुलिस तथा जनता की ओर से केसों का मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। अभियुक्त के खिलाफ केस को साबित करने में सहायता देने के लिए आपको सरकार के लिए गवाह बनने की जरूरत पड़ सकती है (*गवाह बनना* को देखें)।

प्रोसिक्यूटर आपसे और आपके परिवार से मिलेंगे और आपको यह बतायेंगे कि क्या चार्ज लगाए जायेंगे और क्यों, तथा अदालत में क्या होने की संभावना है। यह केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि मर्डर का चार्ज लगाया जाए या मैनस्लॉटर का। प्रोसिक्यूटर आपको इस बारे में समझायेंगे।

अदालत किसी के द्वारा पीड़ित के नाम या उनकी पहचान किए जा सकने वाले अन्य ब्यौरे को प्रकाशित करने से रोकने का आदेश जारी कर सकती है। प्रोसिक्यूटर आपको इस प्रक्रिया के बारे में समझायेंगे।

आप अगर किसी चीज के बारे में अनिश्चित हैं तो आप अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र, पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर या अपने व्यक्तिगत सहायता कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं।

आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी समय अदालत में अपनी सुरक्षा के बारे में चिन्तित हों, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट सुरक्षा अधिकारी से बात करें।

कभी-कभी मीडिया उस केस के बारे में विशेष रुचि दिखा सकते हैं और आप तथा आपके परिवार से टिप्पणी के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। मीडिया से निपटने के लिए आपके पुलिस सम्पर्क अधिकारी आपको सलाह दे सकते हैं।

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)

अभियुक्त जब एक बार कोर्ट में पहली बार पेश हो जाता है, तो कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपसे सम्पर्क स्थापित करेंगे। यह उनका काम है कि वे आपके केस की प्रगति और आप उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में आपको सूचित रखें। वे आपको यह भी बता सकते हैं कि आप भावनात्मक और आर्थिक सहायता कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट सर्विसिज़ फॉर विक्टिम्स (पीड़ितों के लिए अदालत सेवाएं) नामक पुस्तिका में सेवा के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है।

आपके कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र, पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर या आपके सहायता कार्यकर्ता जो कुछ भी अस्पष्ट हो उसे स्पष्ट करने के लिए हैं।

आप अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से सीधा, या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन के माध्यम से 0800 650 654 नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

गवाह बनना

ट्रायल के दौरान, आप और आपके परिवार के सदस्यों को गवाहों के रूप में बुलाया जा सकता है। गवाह बनना एक बहुत ही तनावपूर्ण अनुभव होता है। प्रोसिक्यूटर और आपके कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपको समझा सकते हैं कि इसमें क्या शामिल होता है और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आप अपने पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर से भी सहायता ले सकते हैं।

अदालत से पहले

आपके पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर या कोर्ट विक्टिम सलाहकार आपको बताएंगे कि आपको अदालत में कब और कहाँ हाजिर होना है। आपको घर पर एक सरकारी नोटिस डिलीवर किया जाएगा।

प्रोसिक्यूटर या इंचार्ज अधिकारी आपसे इस बारे में बात करेंगे कि गवाह के रूप में आपको क्या करना है। आप समय से पहले कोर्टरूम को जाकर देखने की भी मांग कर सकते हैं। इसका प्रबन्ध करने के लिए अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र, पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर या सहायता कार्यकर्ता से बात करें।

यदि आप निम्नलिखित के लिए प्रबन्ध करना चाहते हैं तो अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र, पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर या सहायता कार्यकर्ता से बात करें:

- कोर्ट से बाहर आपसे किसी को मिलने के लिए
- गवाही देते समय अपने साथ बैठने के लिए एक सहायक व्यक्ति

अदालत में

एक गवाह के रूप में, आपसे क्या हुआ या अपराध के बारे में आप क्या जानते हैं, इस विषय में सवाल पूछे जाएंगे।

जब आप गवाही देंगे, तो अक्सर आप अभियुक्त को देख सकेंगे।

ज्यादातर अदालतों में गवाह के रूप में बुलाये गए लोगों को इंतजार करने के लिए अलग इलाके होते हैं, परन्तु ऐसा संभव है कि आप अभियुक्त के परिवार और मित्रों को अदालत के आस-पास देखें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप जब गवाह बनते हैं, तो उस दिन से पहले और बाद में आपको सहायता उपलब्ध हो। अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या सहायक कार्यकर्ता से अपने लिए उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के लिए बात करें।

फैसला और सजा

ट्रायल के अन्त में, अभियुक्त या तो दोषी पाया जाएगा या निर्दोष। कभी-कभी अदालत के द्वारा अभियुक्त को पागलपन के कारण दोषी नहीं पाया जाता।

कुछ केसों में, उदाहरण के रूप में जब ज्यूरी निर्णय पर नहीं पहुँच पाती, तो दूसरी ट्रायल हो सकती है।

अगर वह व्यक्ति दोषी होने का निवेदन करता है, या उसे दोषी पाया जाता है, तो उन्हें एक बाद की तारीख में सजा सुनाई जायेगी। सजा कब दी जाने वाली है, इस बारे में आपके विक्टिम लिएज़न ऑफिसर (पीड़ित सम्पर्क अधिकारी), कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या प्रोसिक्यूटर आपको बतायेंगे।

अगर अभियुक्त को पागलपन के कारण निर्दोष पाया जाता है तो उन्हें एक सुरक्षित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में उपचार के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। उस सुविधा से एक विक्टिम कोओरडिनेटर आपको इस बारे में समझाने के लिए सम्पर्क करेंगे।

सजा

कानून द्वारा जज से यह अपेक्षा की जाती है कि अपराधी को सजा देते समय वे कई तत्वों पर विचार करें, जैसे कि अन्य समान अपराधों के लिए क्या सजा दी जा चुकी हैं और अपराधी के बारे में रिपोर्टें।

यदि जज सहमत हों, तो आप (या आपके द्वारा चुना गया कोई अन्य व्यक्ति) कोर्ट में सजा की सुनवाई के समय अपने सारे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट को या उसके कुछ हिस्सों को पढ़ सकते हैं। अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या पुलिस विक्टिम लिएज़न ऑफिसर से अपनी ओर से जज से पूछने के लिए कहें। अपराधी को सजा देते समय जज द्वारा आपके विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट पर विचार किया जाना जरूरी है।

अपील

प्रोसिक्यूटर और अपराधी दोनों को फैसले और सजा पर अपील करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि हाई कोर्ट केस पर दुबारा से विचार करता है। यदि ऐसा होता है, तो प्रोसिक्यूटर आपको उस प्रक्रिया के बारे में बतायेंगे।

कोर्ट के बाद में

एक बार दोषी पाए जाने पर, अपराधी को सजा दी जाएगी। सजा को समझना हमेशा आसान नहीं होता। आपके विक्टिम लिएज़न ऑफिसर या आपके कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपको सजा के मतलब को स्पष्ट कर सकते हैं।

जेल से रिहाई

अपराधियों को जेल से या तो पैरोल पर या फिर उनकी सजा समाप्त होने पर रिहा किया जाता है। ऐसा आपकी अपेक्षा से पहले हो सकता है, क्योंकि दोषी पाए जाने और सजा दिए जाने से पहले हिरासत में बिताये गए समय को उनकी सजा के हिस्से के रूप में गिना जाता है।

अगर अपराधी की सजा समाप्त हो जाती है, तो उनको जेल से रिहा किया जाना जरूरी है। उनकी सजा समाप्त होने के बाद उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता।

अपराधी को अगर पैरोल की अनुमति दी जाती है तो उन्हें जेल से उनकी सजा समाप्त होने से पहले रिहा किया जा सकता है। न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड अधिकतर केसों पर विचार करेगा और इस बात पर निर्णय करेगा कि अपराधी की जल्दी रिहाई से कहीं समुदाय की सुरक्षा को अनुचित खतरा तो नहीं होगा।

यदि अपराधी को हत्या का दोषी पाया गया था, तो वे एक गैर-पैरोल अवधि की न्यूनतम 10 साल की जेल सजा के अधीन हो जाएगा।

अपराधियों को पैरोल पर रिहा करने के बाद अक्सर कम से कम पहले छह महीनों के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इन शर्तों को पैरोल बोर्ड या अपराधी को सजा देने वाले जज द्वारा नियत किया जाता है। इन शर्तों में वे कहाँ निवास कर सकते हैं, किससे सम्पर्क कर सकते हैं, उन पर कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं और अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं जो समुदाय की रक्षा करने में सहायक हो सकते हैं।

आप पैरोल बोर्ड को बता सकते हैं कि अपराधी की रिहाई के वारे में आप कैसा महसूस करते हैं।

अपराधी की जेल से जल्दी रिहाई के बारे में अपना मत देने के लिए, आपका विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है ताकि जब भी अपराधी पैरोल बोर्ड की सुनवाई के लिए जाए तो पैरोल बोर्ड आपसे संपर्क कर सकें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रजिस्टर में आपका सम्पर्क ब्यौरा अप-टू-डेट (नवीनतम) है, पुलिस, डिपार्टमैंट ऑफ कॉरेक्शन्स या अपनी सहायता एजेंसी से सम्पर्क करें।

आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में आप पैरोल बोर्ड को लिखित रूप से, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा या व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं:

- **लिखित रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा**
  अपने पैरोल बोर्ड सम्पर्क से बात करें।
- **व्यक्तिगत रूप से**
  पैरोल बोर्ड आपके साथ मुलाकात करेंगे। आप उन लोगों से बात करेंगे जो अपराधी से भी मुलाकात करेंगे, परन्तु आप जिस सुनवाई में उपस्थित होंगे वह जेल में नहीं होगी और अपराधी उसमें शामिल नहीं होगा। आप सुनवाई में सहायक व्यक्तियों को अपने साथ रख सकते हैं।

कोरोनर (अपमृत्यु का कारण ज्ञात करने वाला अधिकारी) की अदालत

कोर्ट केस के साथ-साथ, एक कोरोनर भी केस की जाँच करेगा और कोरोनर की अदालत में सुनवाई हो सकती है। यह एक विशेष अदालत होती है जो किसी की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों पर ध्यान देती है और समान परिस्थितियों में मृत्यु से बचाव के लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में विचार करती है।

न्याय मंत्रालय की कोरोनियल सेवाएं सुनवाई से पहले आपको सूचना देंगे, और आपके पुलिस पीड़ित सम्पर्क अधिकारी भी आपसे सुनवाई के बारे में बात करेंगे। आप और आपका परिवार कोरोनर की अदालत की सुनवाई में जा सकते हैं, परन्तु आपके लिए जाना जरूरी नहीं है अन्यथा आपको गवाही देने के लिए कहा गया हो।

आपको सहारा देने वाले लोग कोरोनर की अदालत की सुनवाई में आपके साथ जा सकते हैं। सुनवाई पर अपने साथ सहायक व्यक्ति का प्रबन्ध करने के लिए विक्टिम सपोर्ट से 0800 842 846 नम्बर पर या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन से 0800 650 654 नम्बर पर सम्पर्क करें।

मुख्य सम्पर्क

आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चाहे किसी भी चरण पर हों, आपके लिए सहायता उपलब्ध है, और अपराध के प्रभावों का सामना करने के लिए व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध है।

पीड़ितों और अपराध से प्रभावित लोगों के लिए कुछ मुख्य सेवाओं का सम्पर्क ब्यौरा यहाँ दिया गया है। इन सेवाओं के बारे में आप अधिक जानकारी विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर (सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक) फोन करके या victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

एसीसी
acc.co.nz
0800 101 996 क्लेम्स हैल्पलाईन
0800 735 566 सैंसिटिव क्लेम्स हैल्पलाईन
(यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए)

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र्स (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)
0800 650 654 विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन

डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन्स
04 460 3000
corrections.govt.nz

न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड
0800 PAROLE (727 653)
paroleboard.govt.nz

व्यक्तिगत सहायता
victimsinfo.govt.nz या फोन पुस्तिका में व्यक्तिगत सहायता सेवाएं अनुभाग को देखें।

पुलिस
आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को police.govt.nz पर या फोन पुस्तिका के शुरू में नीले पृष्ठों में ढूंढ सकते हैं।

विक्टिम सपोर्ट (पीड़ित सहायता)
0800 VICTIM (842 846) दिन के 24 घंटे
victimsupport.org.nz

वूमैन्स रिफ्यूज़ (महिला शरणस्थल)
0800 REFUGE (733 843) दिन के 24 घंटे
womensrefuge.org.nz

लैंग्वेज़ लाईन अनुवाद सेवाएं
0800 656 656
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक

शब्दावली

जमानत
जब अपराध के लिए चार्ज किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह अदालत में उपस्थित हो।

कोरोनर (अपमृत्यु का कारण ज्ञात करने वाला अधिकारी)
कोरोनर यह स्थापित करता है कि मृत्यु कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुई थी। वे यह भी पता लगाते हैं कि इस प्रकार की मौतों को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं।

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र (अदालत पीड़ित सलाहकार)
एक न्याय मंत्रालय का कर्मचारी जो कोर्ट प्रणाली को स्पष्ट कर सकता है और पीड़ितों को उनके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखता है।

डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त)
अपराध का आरोप लगाया गया व्यक्ति।

होमिसाइड (नर-हत्या)
जब एक व्यक्ति की हत्या दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है।

अपराधी
अपराध का दोषी पाया गया व्यक्ति (दोषी पाए जाने से पहले, अपराध के लिए चार्ज किए गए व्यक्ति को 'डिफेन्डेन्ट' या अभियुक्त कहा जाता है।)

पैरोल
जब अपराधी को उनकी सजा पूरी कर लेने के बाद जेल से बाहर समुदाय में रिहा कर दिया जाता है। उनके लिए कुछ शर्तों ता पालन करना जरूरी है।

रिस्टोरेटिव जस्टिस (मज़बूत करने वाला न्याय)
रिस्टोरेटिव जस्टिस की मदद से पीड़ित अपराधी को यह बता सकते हैं कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वे नुकसान की मरम्मत के लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में अपने विचार दे सकते हैं, और अपराध के कुछ प्रभावों पर समाधान का काम शुरू कर सकते हैं। इस मीटिंग को रिस्टोरेटिव जस्टिस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है।

गंभीर अपराध
- एक यौन प्रकृति या अन्य गंभीर आक्रमण का अपराध।
- एक ऐसा अपराध जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगी हो या किसी की मृत्यु हुई हो।
- एक ऐसा अपराध जिसके कारण पीड़ित को अपनी सुरक्षा या अपने नज़दीकी परिवार के एक या अधिक सदस्य की सुरक्षा के बारे में लगातार आशंका हो रही हो।

विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर (पीड़ित अधिसूचना या चेतावनी रजिस्टर)
एक गोपनीय सूची जिसका प्रयोग क्रिमिनल जस्टिस (दण्ड-न्याय) एजेंसियां पीड़ितों को अपराधी के बारे में सूचित करने के लिए कर सकती हैं, जैसे कि कोर्ट प्रणाली के दौरान केस कहाँ पर है, अगर उनकी जेल से अस्थायी रिहाई हो रही है और अपराधी पैरोल के लिए जा रहा है।

केस इंचार्ज पुलिस अधिकारी के पास अपने ब्यौरे को रजिस्टर करें।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)
इस बात का रिकॉर्ड कि अपराध ने पीड़ित को किस प्रकार से प्रभावित किया है। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट आमतौर पर लिखित रूप में होता है, परन्तु इसमें फोटो, चित्र या कविताओं को शामिल किया जा सकता है। यह जरूरी है कि अभियुक्त को सजा देते समय जज द्वारा इस पर विचार किया जाए। पीड़ित व्यक्ति सजा सुनाने से पहले कथन को अदालत में पढ़ सकते हैं।

कोर्टरूम

इस डॉयग्राम (रेखाचित्र) में कोर्टरूम के नक्शे का एक उदाहरण और आपको कौन-कौन दिखाई दे सकता है, यह दिखाया गया है।

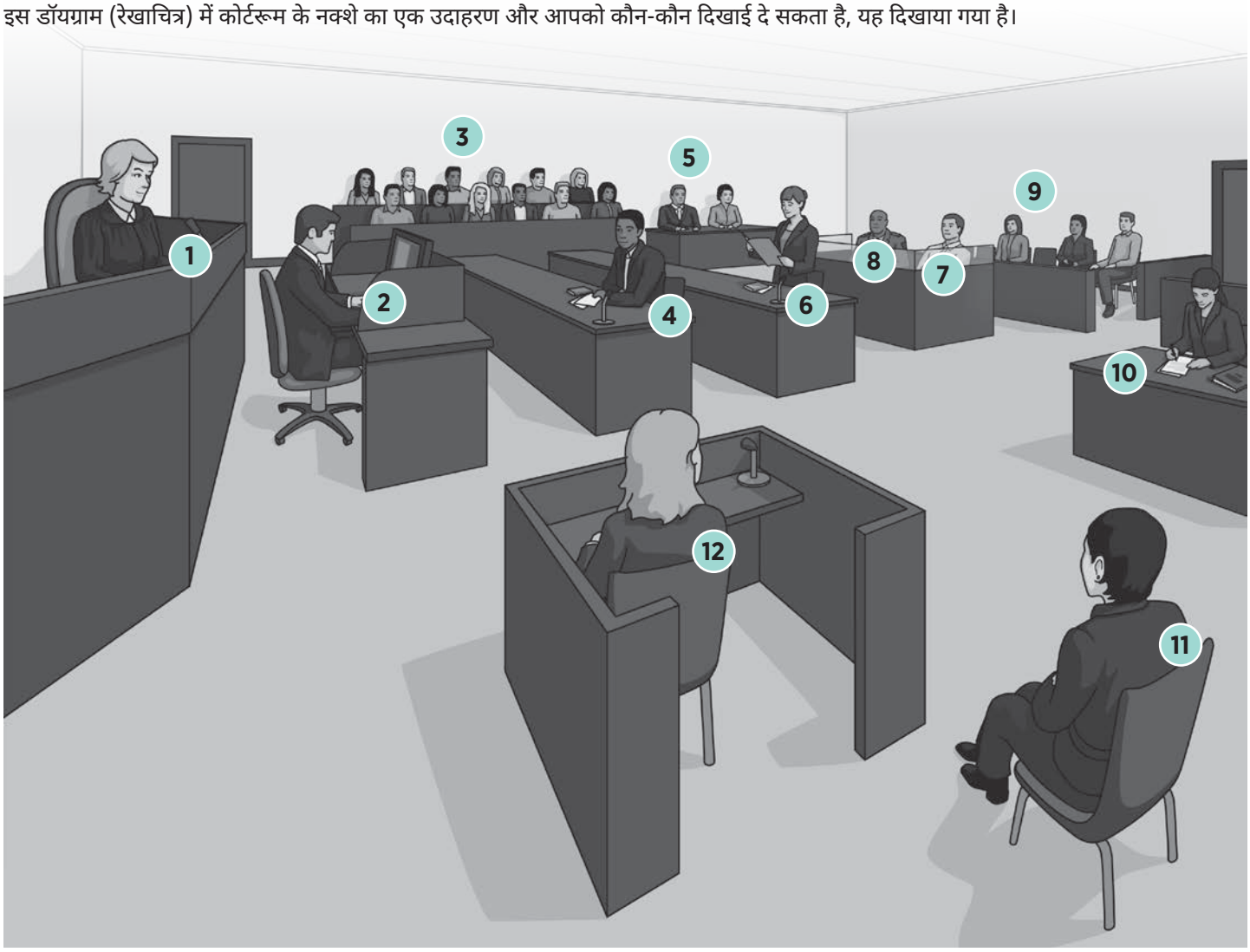

1. **जज** अदालत के इंचार्ज या प्रभारी हैं। वे इस बात का निर्णय करते है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, अगर ज्यूरी होती है तो उनकी जगह ज्यूरी इसका निर्णय लेगी।
2. **रजिस्ट्रार** जज की सहायता करते हैं तथा यह निश्चित करते हैं कि अदालत की प्रणाली का पालन किया जाए।
3. **ज्यूरी** 12 लोगों को मिलाकर बनाई जाती है जो यह निर्णय लेते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं।
4. **प्रोसिक्यूटर (अभियोक्ता)** सरकार की ओर से केस लेते हैं तथा उनका उद्देश्य होता है अभियुक्त के खिलाफ केस प्रस्तुत करना ।
5. **मीडिया** पत्रकार होते हैं जो केस के बारे में रिपोर्ट करते हैं।
6. **डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त) का वकील** अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है।
7. **अभियुक्त** वह व्यक्ति होता है जिस पर अभियोग लगाया जाता है।
8. **प्रिज़नर्स एस्कोर्ट (कैदी के साथ जाने वाला व्यक्ति)** अभियुक्त के साथ जाता है।
9. **पब्लिक गैलरी** वह स्थान जहाँ जनता के लोग और पीड़ित का परिवार बैठ सकते हैं, तथा जहाँ गवाह अपनी गवाही देने के बाद बैठ सकते हैं।
10. **कोर्ट विक्टिम एजवाइज़र (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)** पीड़ित की अदालत की प्रणाली को समझने में सहायता करता है। यह जरूरी नहीं है कि वे हमेशा अदालत में उपस्थित हों।
11. **विटनेस सपोर्ट परसन (गवाहों का सहायक व्यक्ति)** वह व्यक्ति जिसे जज ने अदालत में गवाह को सहारा देने की अनुमति दी है।
12. **विटनेस (गवाह)** जो कुछ हुआ उसके बारे में या वे अपराध के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में गवाही देते हैं।